



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243287
CG-DL-E-30012023-243287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]
No. 57]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 में:-

(क) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. अधिवर्षिता.-इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उस मास के अंतिम तारीख के अपराहन में, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु वह व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है वह साठ वर्ष की आयु पूरी करने वाले पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख को सेवा निवृत्त हो जाएगा।"

(ख) अनुसूची में, सहायक सेनानी (पशु परिवहन) पद से संबंधित क्र.सं.1 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“02* (2023)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।”

[फा. सं. I-12012/16/2016-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 1099(अ) द्वारा तारीख 1 नवंबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre Group ‘A’ (Gazetted) and Group ‘B’ (Non-Gazetted) Posts, Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group ‘A’ (Gazetted) and Group ‘B’ (Non-Gazetted) Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group ‘A’ (Gazetted) and Group ‘B’ (Non-Gazetted) Posts, Recruitment Rules, 2018:-

(a) for rule 7, the following shall be substituted, namely:-

“7. Superannuation.-Every person appointed under these rules, shall retire from the service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.”

(b) in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Assistant Commandant (Animal Transport),- In Column (2), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“02* (2023)

* Subject to variation dependent on work load.”

[F. No. I.12012/16 /2016-Org.]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide notification number G.S.R. 1099 (E), dated the 1st November, 2018.